



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2014 पुनरीक्षण R. 3551- II/114

466

श्री गणेश आर्य
लगाता 5 (कुछ)
13-10-14

नरेश सिंह पुत्र नाथू सिंह

निवासी-ग्राम टिकेतन का पुरा मौजा नगरा

तहसील-पोरसा जिला-मुरैना

विरुद्ध

1. महेश सिंह पुत्र नाथू सिंह
2. अजयपाल सिंह पुत्र महेश सिंह
3. सत्यपाल सिंह पुत्र महेश सिंह
4. अरविन्द पाल सिंह पुत्र नरेश सिंह
5. राजपाल सिंह पुत्र नरेश सिंह
6. मूलक देवी विधवा पत्नी जयपाल सिंह
7. नरेन्द्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह
8. विद्याराम पुत्र रामदयाल

समस्त निवासीगण ग्राम टिकेतन का पुरा

मौजा नगरा तहसील-पोरसा जिला-मुरैना

तहसीलदार पोरसा जिला-मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/2013-14/अ-27 में पारित आदेश दिनांक 29-09-2014 के पुनरीक्षण हेतु आवेदन हेतु अंतर्गत धारा-50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है-

संक्षिप्त तथ्य-

1. यह कि, अनावेदकगण क्रमांक-1, 2 एवं 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम-नगरा तहसील पोरसा की भूमि खाता क्रमांक 604, 178 एवं 179


3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3551-एक/14

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	